कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा

Add. Near Chambal Rest House, Kishorpura Kota- 324009 E-Mail:- ccffdp.kota@gmail.com Tel. no. 0744- 2500194

क्रमांक एफ( )एफसीए/समुवसं/2024–25/5744 दिनांकः– 14.10.2024

निमित्तः–

उप वन संरक्षक
बारां।

विषयः– पाटरी से भटगांव सडक निर्माण के वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव।
संदर्भः– इस कार्यालय का पत्रांक 2046 दिनांक 23.04.2024 एवं 5487 दिनांक 27.09.2024 I

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों से चाही गई रिपोर्ट के क्रम में लेख है कि आलौच्य प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लघन होने के कारण MOEF के परिपत्र 29.01.2018 के अनुसार दण्डात्मक राशि का डिमांडनोट जारी कर दिनांक 31.10. 2023 को प्रयौक्ता अभिकरण का आनलाईन प्रेषित किया गया। इसके प्रतिउत्तर में यूजर एजेन्सी के पत्र क्रमांक 826 दिनांक 16.11.2023 द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त पेनल (दण्डात्मक प्रावधान) परिपत्र दिनांक 29.02.2018 को जारी हुआ है तथा उक्त वर्ष 2008 तथा उल्लघन की दिनांक 26.05.2008 है। परिपत्र दिनांक 29.01.2018 से पूर्व का होने के कारण (दण्डात्मक प्रावधान) अनुसार शास्ति आरोपित नही होने के संबंध में आप द्वारा पूर्व में मार्गदर्शन मांगा गया था एवं आपको निर्देशित किया गया था कि उक्त मार्गदर्शन परिवेश पोर्टल पर ना मांगा जाकर पृथक से पत्र द्वारा मांगा जावे, उक्त वांछित मार्गदर्शन अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, जयपुर के पत्र क्रमांक 1285 दिनांक 22.05.2024 से भिजवाया जा चुका है। इसके उपरांत भी आप द्वारा इस संबंध में लम्बे समय से कोई भी कार्यवाही नही की गई एवं संबंधित प्रस्ताव बार–बार बिना किसी कार्यवाही के ज्यों के त्यों ही भिजवा देना राजकार्य के प्रति घोर लापरवाही को दर्शाता है। पूर्व में भी अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा आपको निर्देश दिए गए थे। इस तरह आप द्वारा प्रकरणों में बिना किसी कार्यवाही किए ही भिजवा देने से प्रकरणों के निस्तारण मे अनावश्यक विलम्ब हो रहा है, जिससे विभाग की छवि धुमिल हो रही है।

अतः आपको पुनः निर्देश दिए जाते है कि प्रस्तावों/प्रकरणों के क्रम में आवश्यक कार्यवाही करें ताकि प्रकरण का निस्तारण किया जा सकें।

(रामकरण खैरवा)
संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा

क्रमांक एफ( )एफसीए/समुवसं/2024–25/5745 दिनांकः– 14.10.2024

प्रतिलिपिः–

01. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए, राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ प्रस्तुत है।

संभागीय मुख्य वन संरक्षक